# फर्द अहकाम

2021/18

कैलाश बनाम हरकेश

न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

वाद प्रार्थना पत्र मुकदमा नम्बर : 4/21

| दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|
| 8/4/22 | पत्रावली पेश हुई। वर्तमान में अधिवक्तागण के कार्य स्थगन के कारण आज आदेश नहीं सुनाया जा सका। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 22-4-22 को पेश हो। | |
| 22/4/22 | पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई / वकील प्रार्थी एवं वकील अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 वकील उभय पक्ष की प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर पूर्व में बहस सुनी गई। वकील पक्षकारान के द्वारा की गयी बहस को सुनने एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने के पश्चात वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा आंशिक रूप से स्वीकार कर उभयपक्षों को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 39 रकबा 0.5943 हैक्टेयर स्थित ग्राम विराजपुरा तह. बस्सी जिला जयपुर पर दिनांक 20/11/2021 को तहसीलदार बस्सी के आदेश क्रमांक / LR/2021/789 दिनांक 11/11/2021 द्वारा खसरा नं. 35 ग्राम विराजपुरा तह. बस्सी की पत्थरगढ़ी के अनुसार सीमांकन कर जो पत्थर लगवाये गये हैं उभयपक्ष उक्त पत्थरगढ़ी | |

2022/18

# फर्द अहकाम

कैलाश बनाम हरकचंद

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 4/2021

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से |
|---|---|---|
| | | अनुसार खसरा नं. 35 एवं खसरा नं. 39 ग्राम बिराजपुरा तह. बस्सी की सीमाओ पर पत्थरगढी मे ~~तय~~ सीमाओ के अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थीगण एक दूसरे की भूमि मे किसी प्रकार की दखलंदाजी न करेंगे। अपनी कब्जे काश्त की भूमि मे अपने अधिकारो का प्रयोग करने मे स्वतंत्र रहेंगे। पत्रावली नम्बर से खम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।<br><br>आज दिनांक 22/04/22 को यह निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>[signature]<br>सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर |